न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 76/2024 राजस्व वाद

01. आसु पुत्र पेमा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— वादी

बनाम

01. टमु देवी पत्नी प्रताप बलाई,जाति बलाई, आयु वयस्क निवासी–दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

वादीगण की ओर से श्री बन्टु सिंह चूण्डावत, एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 04.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 ने सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के आराजी नम्बर 1822/550 कुल किता 01, कुल रकबा 0.1265 हैक्टयर भूमि के पूर्वी व उतरी मेड में से 0.0200 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 76 / 2024 राजस्व वाद

01. आसु पुत्र पेमा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— वादी

बनाम

01. टमु देवी पत्नी प्रताप बलाई,जाति बलाई, आयु वयस्क निवासी–दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–
1. श्री बन्दु सिंह चूण्डावत —–अधिवक्ता प्रार्थी / वादी
2. एकपक्षीय– —–प्रतिवादी संख्या 01
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 02

दिनांक– 04 / 08 / 2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि. एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) के आराजी नम्बर 1822 / 550 कुल किता 01, कुल रकबा 0.1265 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 323 / 2023 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 10.06.2023 को हुआ, निर्णय की पालना में दिनांक 28.12.2023 को उक्त आराजी की पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादी के आराजी नम्बर 1822 / 550 रकबा 0.1265 हैक्टयर भूमि के पूर्वी व उतरी मेड पर प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0200 हैक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 28.12.2023 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के आराजी नम्बर 1822 / 550 कुल किता 01, कुल रकबा 0.1265 हैक्टयर भूमि के पूर्वी व उतरी मेड से 0.0200 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया, प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 02 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा